



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

No.F. 1-11/2025 (DEB-NER)

27 भाद्रपद 1947/ 18 सितम्बर, 2025

सार्वजनिक सूचना

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और/या ऑनलाइन शिक्षा (ओएल) माध्यम (मोड) के तहत प्रदत्त कार्यक्रमों में प्रवेश लेने से पहले छात्रों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 4 सितंबर 2020 को भारत के राजपत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 अधिसूचित किए हैं। इसके बाद, इन मूल विनियमों में संशोधन 1 जुलाई 2021, 18 जुलाई 2022 और 2 मई 2024 को अधिसूचित किए गए हैं। ये विनियम मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और/या ऑनलाइन माध्यम (मोड) में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर डिग्री प्रदान करने तथा दो वर्ष की अवधि वाले स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए न्यूनतम शिक्षा मानक निर्धारित करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सभी भावी छात्रों को सलाह देता है कि वे जिस सत्र के लिए प्रवेश ले रहे हैं, उस सत्र में ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान (HEIs) की मान्यता की स्थिति की पुष्टि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी) वेबसाइट पर अवश्य करें, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान (HEIs) की वेबसाइट पर विवरण देखें, प्रतिबंधित कार्यक्रमों और फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था पर प्रतिबंध का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी गतिविधियाँ ओडीएल कार्यक्रमों के लिए निर्धारित क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) के भीतर ही संचालित की जा रही हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

1. उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) की मान्यता और पात्रता स्थिति का सत्यापन:

- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता स्थिति:** मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त एचईआई की वर्षवार और शैक्षणिक सत्रवार स्थिति यूजीसी की वेबसाइट <https://deb.ugc.ac.in/> पर उपलब्ध है।
- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की पात्रता स्थिति:** मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और/या ऑनलाइन माध्यम (मोड) में कार्यक्रम संचालित करने के लिए पात्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की की सूची एवं उनके कार्यक्रमों के नाम यूजीसी की वेबसाइट <https://deb.ugc.ac.in/> पर उपलब्ध है।
- कृपया प्रवेश लेने से पहले निम्नलिखित लिंक पर नोटिस बोर्ड की अधिसूचनाएं पढ़ें: <https://www.ugc.gov.in/Notices> या <https://deb.ugc.ac.in/notices/NewNotices>।

टिप्पणी: सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और/या ऑनलाइन कार्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2025 होगी।

2. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ऑनलाइन कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन हेतु डीईबी-आईडी (DEB-ID) बनाना अनिवार्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की 581वीं बैठक दिनांक 25 जून 2024 के निर्णयानुसार, छात्रों के शैक्षणिक भविष्य और करियर के अवसरों की सुरक्षा के लिए एक मानकीकृत प्रवेश प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अनुसार:

- क. छात्रों को अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) ID का उपयोग करते हुए यूजीसी-डीईबी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जिससे एक अद्वितीय डीईबी-आईडी बनाई जा सके।
- ख. यह डीईबी-आईडी ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकन के लिए अनिवार्य होगी और यह छात्रों के लिए ओडीएल/ऑनलाइन मोड के पूरे जीवनचक्र में मान्य रहेगी।

नामांकन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए सार्वजनिक सूचना F. No. 1-6/2024 (DEB-II) दिनांक 19 अगस्त 2024 देखें।

3. उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) की वेबसाइट पर विवरण की जांच:

सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) जिन्हें ओडीएल और/या ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता/पात्र प्राप्त है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा:

- क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को प्रस्तुत किए गए आवेदन
- ख. शपथ पत्र और वैधानिक निकायों से प्राप्त स्वीकृतियां
- ग. नियामक प्राधिकरण की स्वीकृति (यदि लागू हो)
- घ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के विनियम 9 के अनुसार, संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर स्व-नियमन (Self-regulation), प्रकटीकरण (Disclosures), घोषणाएँ (Declarations) और रिपोर्ट्स (Reports) से संबंधित अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

4. निलंबित/प्रतिबंधित या 'प्रवेश निषेध श्रेणी' में रखे गए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान:

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और/या ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किए गए उच्चतर शैक्षणिक संस्थान एवं 'प्रवेश निषेध श्रेणी' में रखे गए संस्थानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, राजस्थान	विश्वविद्यालय को ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से अगले पाँच शैक्षणिक सत्रों (जुलाई-अगस्त 2024 से प्रारंभ) के लिए वंचित/प्रतिबंधित किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए ऑनलाइन माध्यम (मोड) में कार्यक्रम संचालित करने हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन "पात्र श्रेणी (Entitled Category)" के अंतर्गत भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ख.	पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	विश्वविद्यालय को ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने से दो शैक्षणिक वर्षों (2024-25 और 2025-26) के

	लिए वंचित/प्रतिबंधित किया गया है, जो जुलाई-अगस्त 2024 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। यह प्रतिबंध "पात्र श्रेणी (Entitled Category)" के अंतर्गत भी लागू रहेगा।
--	--

इसके अतिरिक्त, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) से संबंधित सार्वजनिक सूचनाएं यूजीसी-डीईबी की वेबसाइट <https://deb.ugc.ac.in/> पर उपलब्ध हैं। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि भविष्य के अपडेट के लिए यूजीसी/यूजीसी-डीईबी की वेबसाइट नियमित रूप से देखें।

5. डिग्री विनिर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिसूचना, 2014 एवं उसके बाद के संशोधनों का पालन:

कृपया सुनिश्चित करें कि जिस मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) या ऑनलाइन कार्यक्रम में नामांकन किया जा रहा है, उसकी न्यूनतम अवधि, नामकरण (nomenclature) और प्रवेश स्तर की योग्यता यूजीसी की डिग्री विनिर्देश, 2014 तथा उसके संशोधनों (जो <https://www.ugc.gov.in> पर उपलब्ध हैं) के अनुसार दृढ़ता से होनी चाहिए।

6. निषिद्ध कार्यक्रमों में प्रवेश से सावधानी बरतें:

क. निम्नलिखित विषयों (एवं इनके सहवर्ती क्षेत्रों) में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश निषिद्ध है:

- i. इंजीनियरिंग
- ii. चिकित्सा (Medical)
- iii. फिजियोथेरेपी
- iv. ऑक्जुपेशनल थेरेपी और अन्य पैरा-मेडिकल विषय
- v. फार्मसी
- vi. नर्सिंग
- vii. डेंटल
- viii. आर्किटेक्चर
- ix. कानून (Law)
- x. कृषि (Agriculture)
- xi. बागवानी (Horticulture)
- xii. होटल प्रबंधन
- xiii. कैटरिंग टेक्नोलॉजी
- xiv. क्यूलिनरी साइंस
- xv. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस
- xvi. दृश्य कला और खेल (Visual Arts and Sports)
- xvii. विमानन (Aviation)
- xviii. कोई भी अन्य कार्यक्रम जिसे संबंधित वैधानिक/नियामक निकाय या परिषद द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन माध्यम (मोड) में संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई हो।

तदनुसार, योग (Yoga) तथा पर्यटन और आतिथ्य प्रबंधन (Tourism & Hospitality Management) विषयों में स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) स्तर पर कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम (मोड) में अनुमोदित नहीं हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सभी विषयों में एम.फिल. एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन मोड के माध्यम से संचालित करने की भी अनुमति नहीं है।

ख. दिनांक 23.07.2025 को आयोग ने अपनी 592वीं बैठक, में राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएचपी) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य देखभाल एवं संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता वाले कार्यक्रमों को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) तथा ऑनलाइन माध्यम (मोड) में प्रस्तुत करने की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया। तदनुसार, आयोग ने निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त, 2025 से तथा उसके बाद किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान (HEI) को राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएचपी) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले किसी भी स्वास्थ्य देखभाल एवं संबद्ध कार्यक्रम, जिसमें मनोविज्ञान विषय में विशेषज्ञता भी शामिल है, को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ ऑनलाइन माध्यम (मोड) में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

7. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) के भीतर सभी गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना:

छात्रों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की सभी गतिविधियाँ, जिनमें प्रवेश, परामर्श सत्र, संपर्क कार्यक्रम, कार्यक्रम संचालन, परीक्षाएँ शामिल हैं, उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा ओडीएल कार्यक्रमों के लिए अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) के भीतर ही आयोजित की जाएँ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

विश्वविद्यालय का प्रकार	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction)
केंद्रीय विश्वविद्यालय	उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) को उसके अधिनियम (Act) के अंतर्गत आवंटित क्षेत्राधिकार।
राज्य विश्वविद्यालय	उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) को उसके अधिनियम (Act) के अंतर्गत आवंटित क्षेत्राधिकार और किसी भी स्थिति में उस राज्य की सीमा से बाहर नहीं।
प्राइवेट विश्वविद्यालय (जो राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हो)	- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) को उसके अधिनियम के अंतर्गत आवंटित क्षेत्राधिकार और किसी भी स्थिति में उस राज्य की सीमा से बाहर नहीं। - केवल मुख्यालय (HQ) और मान्यता प्राप्त ऑफ-कैंपस केंद्रों (Off Campus Centres) से ही कार्यक्रम संचालित किए जाएँ। - लर्नर सपोर्ट सेंटर (LSC) से कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाएँ।
मान्यता प्राप्त (डीम्ड टू बी) विश्वविद्यालय	केवल अपने मुख्यालय से या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऑफ-कैंपस केंद्रों से ही कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) से संबंधित नीति यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुबंध-III (Annexure III) में परिभाषित है, और <https://deb.ugc.ac.in> पर उपलब्ध है।

8. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों के संचालन के लिए फ्रेंचाइज़ी व्यवस्था पर प्रतिबंध:

- (i) कोई भी विश्वविद्यालय चाहे वह केंद्रीय हो, राज्य हो, निजी हो या मान्यता प्राप्त (डीम्ड टू बी) विश्वविद्यालय हो — फ्रेंचाइज़ी व्यवस्था के माध्यम से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन माध्यम (मोड) में शिक्षार्थियों को प्रवेश देने या पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) के मुख्यालय के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाए।
- (ii) शिक्षार्थी सहायता केंद्र (LSC) की स्थापना और प्रबंधन उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए, न कि किसी फ्रेंचाइज़ी या आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से।
- (iii) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश का पूरा स्वामित्व (Ownership), जिसमें सभी आवश्यक घटक और (ऑनलाइन कार्यक्रमों के मामले में) शिक्षा मंच शामिल हैं, केवल उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के पास होना चाहिए।
- (iv) निजी सेवा प्रदाता के साथ फ्रेंचाइज़ी व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश यूजीसी (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और ऑनलाइन कार्यक्रमों) विनियम, 2020 के अनुसार अनुमेय नहीं है।

9. पारंपरिक या मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त योग्यता की समतुल्यता (Equivalence):

यूजीसी अधिसूचना "डिग्री विनिर्देश, 2014" के अनुरूप स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रियाँ, तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और/या ऑनलाइन माध्यम (मोड) में प्रदान किए गए स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यदि वे इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो उन्हें पारंपरिक माध्यम (मोड) में प्रदान की गई समकक्ष डिग्रियों एवं डिप्लोमाओं के समान माना जाएगा।

10. विनियमों से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षार्थी केंद्र प्रावधान:

- (i) **शिक्षार्थी की गतिशीलता (Learner's mobility):** कोई भी शिक्षार्थी जो किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और/या ऑनलाइन माध्यम (मोड) के कार्यक्रम में इन विनियमों के अंतर्गत नामांकित है, वह उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के अधिनियम में वर्णित प्रावधानों और वैधानिक निकायों की स्वीकृति के अनुसार एक माध्यम (मोड) से दूसरे माध्यम (मोड) में स्थानांतरण के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि यदि कार्यक्रम किसी नियामक प्राधिकरण/वैधानिक परिषद के अधीन है, तो उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को ऐसे कार्यक्रमों के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण/परिषद से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

- (ii) **मान्यता अवधि के दौरान लिया गया प्रवेश:** यदि कोई शिक्षार्थी किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और/या ऑनलाइन माध्यम (मोड) के अंतर्गत मान्यता अवधि के दौरान प्रवेश लेता है, तो वह प्रवेश कार्यक्रम की समाप्ति तक मान्यता प्राप्त माना जाएगा, भले ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को आगे की वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त न हो, बशर्ते वह कार्यक्रम यूजीसी की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नीति और अन्य लागू दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार संचालित हो।

- (iii) **शिक्षार्थी का नामांकन (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम (मोड) के लिए):** देश के किसी भी भाग में रहने वाला शिक्षार्थी किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकन ले सकता है, बशर्ते उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश, संपर्क कार्यक्रम, परीक्षा आदि सभी गतिविधियां यूजीसी द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आयोजित की जाएं।
- (iv) **शिक्षार्थी का नामांकन (ऑनलाइन माध्यम (मोड):** भारत के भीतर या बाहर रहने वाला कोई भी शिक्षार्थी किसी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के ऑनलाइन माध्यम (मोड) में मान्यता प्राप्त कार्यक्रम में नामांकन ले सकता है।



(मनिष जोशी)
सचिव



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

F. No. 1-11/2025(DEB-NER)

27 भाद्रपद 1947/ 18th September, 2025

PUBLIC NOTICE

Precautions to be taken by the students before enrolling in Programmes offered under Open & Distance Learning (ODL) and/or Online Learning (OL) mode

UGC has notified the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 on 4th September, 2020 in the Gazette of India. Subsequently, amendments to the Principal regulations have been notified on 1st July, 2021, 18th July, 2022 and 2nd May, 2024.

These regulations lay down the minimum standards of instruction for the grant of degrees at the undergraduate and postgraduate levels and the grant of postgraduate diploma of duration of two years in Open and Distance Learning and/or Online mode.

The University Grants Commission (UGC) advises all prospective learners to must confirm the recognition status of HEI for offering ODL and Online programmes for the session opted for admission on UGC DEB website, check the details on the HEIs' website, take note of prohibited programmes and prohibition of franchising arrangement and ensure that all activities are being conducted within Territorial Jurisdiction for ODL Programmes. The details are as under:

1. Verification of Recognition and Entitlement Status of Higher Educational Institutions (HEIs):

- Recognition status of HEIs:** The year-wise, academic session-wise status of HEIs recognized to offer Programmes through Open and Distance Learning mode and/or Online mode is available on UGC website at <https://deb.ugc.ac.in/>.
- Entitlement Status of HEIs:** The list of HEIs entitled to offer Programmes in ODL mode and/or online mode with names of Programmes is available on the UGC website at <https://deb.ugc.ac.in/>.
- Please read the notifications at the Notice Board before taking admission at the following link: <https://www.ugc.gov.in/Notices> or <https://deb.ugc.ac.in/notices/NewNotices>.

Note: The last date of admissions for all HEIs for offering ODL and/or Online Programmes for the academic session beginning July-August, 2025 shall be **15th October, 2025**.

2. Mandatory creation of DEB-ID for enrolling students in ODL/Online Programmes

As per UGC's decision in its 581st meeting dated 25th June 2024, a standardised admission system has been adopted to safeguard learner's academic future and career opportunities. Accordingly:

- Students must register on the UGC-DEB portal using their Academic Bank of Credits (ABC) ID to generate a unique DEB-ID.

- This DEB-ID will be mandatory for enrolling in ODL/Online programmes and will remain valid for students across a life cycle of ODL/OL mode.

Refer to public notice F. No. 1-6/2024(DEB-II) dated 19th August 2024 for detailed enrolment procedures.

3. Checking the details on the HEIs' website:

All HEIs that are recognized/entitled to offer ODL and/or Online programmes are required to display the following details on their websites:

- Applications submitted to UGC
- Affidavits and approvals from statutory bodies
- Regulatory authority approvals (if applicable)
- Additional information on their website as per regulation 9 i.e., Self-regulation through disclosures, declarations and reports of UGC (ODL Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020.

4. HEIs debarred/put under 'no admission category':

The details of HEIs debarred from offering ODL and/or Online programmes and put under 'no admission category' are as under:-

- Suresh Gyan Vihar University, Rajasthan - Debarred/banned from offering Online programmes for the next five academic sessions beginning from July-August, 2024, and no application shall be considered for the academic year 2024-25 and 2025-26 to offer programmes in Online mode, even under "Entitled Category".
- Periyar University, Tamil Nadu - Debarred/banned from offering Online Programmes for two academic years 2024-25 and 2025-26 starting from academic session beginning July-August 2024, even under "Entitled Category".

Further, public notices in respect of HEIs are also available on the UGC-DEB website at <https://deb.ugc.ac.in/>. All stakeholders are requested to check UGC/UGC-DEB website on regular basis for future updates.

5. Adherence to UGC notification on Specification of Degrees, 2014 and its subsequent amendments:

Please ensure that the minimum duration, nomenclature and entry level qualification for ODL and Online Programmes for which enrolment is being sought are strictly as per UGC notification on Specification of Degrees, 2014 and its amendments (available at <https://www.ugc.gov.in>).

6. Caution against admission in prohibited programmes:

- a) Programmes in the following disciplines (including their allied domains) are not permitted to be offered under ODL and Online mode:

- (i) Engineering
- (ii) Medical
- (iii) Physiotherapy
- (iv) Occupational Therapy and other Para-Medical disciplines
- (v) Pharmacy
- (vi) Nursing
- (vii) Dental
- (viii) Architecture
- (ix) Law
- (x) Agriculture
- (xi) Horticulture
- (xii) Hotel Management
- (xiii) Catering Technology
- (xiv) Culinary Sciences
- (xv) Aircraft Maintenance
- (xvi) Visual Arts and Sports
- (xvii) Aviation
- (xviii) any other programme not permitted to be offered through Open and Distance Learning mode and/or Online mode by any concerned statutory or regulatory body or council.

Further, Yoga and Tourism & Hospitality Management programmes at UG and PG level are not permitted in Online mode.

Apart from the above, M.Phil and Ph.D. programmes in all disciplines through Open and Distance Learning and Online mode are also not permitted.

- b) Commission in its 592nd meeting held on 23.07.2025 deliberated on the feasibility of offering programmes in the specialisation of healthcare and allied disciplines falling under the NCAHP Act, 2021, in ODL and Online mode. Accordingly, the Commission decided that *no HEI shall be permitted to offer any allied and healthcare programmes covered in NCAHP Act, 2021, including Psychology as specialisation under ODL/ Online mode, from the academic session July-August, 2025 and onwards.*

7. Ensuring all activities within Territorial Jurisdiction for ODL Programmes only:

Students are requested to ensure that all activities of the HEI including admission, counselling sessions, contact programmes, programme delivery and examinations are conducted by the HEI strictly within the Territorial Jurisdiction of the HEI for ODL programmes, as indicated below:-

Type of University	Territorial Jurisdiction
Central University	Allotted to HEI under its Act.
State University	Allotted to HEI under its Act and in no case beyond the territory of the state of its location.

Private University (established under a State Act)	• Allotted to HEI under its Act and in no case beyond the territory of the state of its location. • Offer Programmes only through Head Quarters and recognized off-campus centres. • Programmes not to be offered from Learner Support Centre (LSC).
Deemed to be University	Within its Head Quarters or from those off-campus centres, which are approved by the Government of India.

The policy on territorial jurisdiction is defined under Annexure III of UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and can be accessed at <https://deb.ugc.ac.in>.

8. Prohibition of franchising arrangement for offering ODL and OL Programmes:

- (i) No University, whether Central, State, Private or Deemed to be University, can offer its programmes through a franchising arrangement for admitting learners and conducting courses through ODL and Online mode. Please ensure that the complete admission process is carried out through the headquarters of the HEI in a transparent manner.
- (ii) The Learner Support Centers (LSCs) shall be established and managed directly by the HEI and not through any franchisee or outsourced arrangement.
- (iii) The ownership of offering ODL and Online programmes including all required components and learning platform (in case of Online programmes) shall be that of Higher Educational Institution only.
- (iv) Franchisee arrangement with a private service provider for offering ODL and OL Programmes is not permissible as per University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020.

9. Equivalence of qualification acquired through Conventional or Open and Distance Learning and Online modes:

Degrees at undergraduate and postgraduate level in conformity with UGC notification on Specification of Degrees, 2014 and post graduate diplomas awarded through ODL mode and/or Online mode by Higher Educational Institutions, recognised by the Commission under these regulations, shall be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degrees at undergraduate and postgraduate level and post graduate diplomas offered through conventional mode.

10. Important Learner Centre provisions of the Regulations

- (i) **Learner's mobility:** A learner enrolled for a programme under Open and Distance Learning mode and/or Online mode in a Higher Educational Institution recognised by the Commission under these regulations shall be eligible for mobility from one mode of learning to another mode of learning within the Higher Educational Institution as per the provisions stipulated under its Act and with the approval of statutory authorities of the Higher Educational Institution;

Provided that in case a programme is under the domain of a regulatory authority/statutory council, the Higher Educational Institution shall take permission

from the concerned regulatory authority/statutory council for mobility of learners in such programmes.

- (ii) **Admission taken during recognition period:** Admission taken in a recognized programme under Open and Distance Learning mode and/or Online mode during the recognition period stands recognised till the completion of programme, even if the Higher Educational Institution does not have recognition for further years, provided the programme is offered as per the UGC norms of territorial jurisdiction and in conformity with the extant guidelines and/or UGC regulations and regulations of respective regulatory bodies.
- (iii) **Learner's enrolment (for Open and Distance Learning mode):** A Learner residing in any part of the Country may enroll in any programme being offered by a Higher Educational Institution recognised by the Commission for offering programme under Open and Distance Learning mode, provided that the Higher Educational Institution shall conduct all activities such as admissions, contact programmes, examinations etc. for learner strictly within the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution as specified in UGC regulations.
- (iv) **Learner's enrolment (for Online mode):** A Learner residing within or outside India may enroll in any programme being offered by a Higher Educational Institution recognised by the Commission for offering programme under Online mode.



(Manish Joshi)
Secretary